कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-15.07.2026

□थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 01.140 किग्रा अवैध गांजा, एक मोटरसाइकिल व ₹5,680/- नगद बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष मुगलसराय, विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.07.2026 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम हमीदपुर स्थित सरकारी भांग की दुकान के बगल कटरा में छापेमारी की गई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 01.140 किलोग्राम अवैध गांजा, गांजा बिक्री के ₹5,680/- नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल संख्या UP67AK4979 बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रोजन मिया पुत्र जब्बार मिया निवासी ग्राम छोटी मिर्जापुर, थाना अदलहाट, जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 26 वर्ष के रूप में हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम के पहुंचने पर उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 340/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी राम यादव के साथ मिलकर गांजे की पुड़िया बनाकर अवैध रूप से बिक्री करता था। बरामद नगदी गांजे की बिक्री से ही प्राप्त हुई थी। वे दोनों अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

रोजन मिया पुत्र जब्बार मिया निवासी ग्राम छोटी मिर्जापुर, थाना अदलहाट, जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 26 वर्ष (गिरफ्तार)

आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0सं0 340/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

अवैध गांजा कुल मात्रा 01.140 किलोग्राम।

गांजा बिक्री से संबंधित नगद ₹5,680/- रुपये।

घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल संख्या UP67AK4979।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक: 15.07.2026

□थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा डकैती के अभियोग में वांछित व 25000 रुपए का इनामियां अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

□इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला कर लूट करने वाला इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना-

वादी जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सुदामा निवासी ग्राम नेवाजगंज थाना चकिया द्वारा तहरीर दिया गया कि बैरी बाजार मे संजय ज्वेलर्स के नाम से मेरी दुकान है, रोज के भांति मैं आज दिनांक 31.10.2025 को अपनी दुकान को बन्द करके अपने मोटर साइकिल से वापस अपने घर जा रहा था कि रास्ते मे ग्राम फिरोजपुर गांव के प्राइमरी स्कूल के पास में कुछ लोगो द्वारा मेरे ऊपर हमला कर दिया गया जिससे मै गम्भीर रुप से घायल हो गया।

वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 230/2025 धारा 110, 309(6) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर पूर्व में 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपरोक्त प्रकरण में रोहन पाण्डेय फरार चल रहा था।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया के नेतृत्व में थाना चकिया पर गठित टीम के द्वारा को मु0अ0स0- 230/2025 धारा-309(6)/110/61/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली दिनांक घटना 31.10.2025 से सम्बन्धित में वांछित अभियुक्त रोहन पाण्डेय पुत्र अरविन्द पाण्डेय निवासी गुरेनी पोस्ट डबरिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली जिसके विरुद्ध 25000 रुपए के इनामियां को इलेक्ट्रानिक व मैनुअल साक्ष्य के आधार पर रोहन पाण्डेय उपरोक्त दिल्ली से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त-

1.रोहन पाण्डेय पुत्र अरविन्द पाण्डेय निवासी गुरेनी पोस्ट डबरिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-15.07.2026

□थाना चकिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 04 वाहनों में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाए जा रहे 17 गोवंश बरामद कर, 04 शातिर पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष चकिया अर्जुन सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.07.2026 थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बेलावर-कोदवारी, मुसाखाड़ बंधी एवं बेलावर क्षेत्र में सघन चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान विभिन्न स्थानों से 04 पिकअप वाहनों में कुल-17 राशि गोवंशों को क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 04 शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम द्वारा मैजिक वाहन संख्या UP65JT132 से 06 गोवंश सहित अभियुक्त सिंटू सिंह को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त मैजिक वाहन संख्या UP63BT7038 एवं टाटा मैजिक वाहन संख्या UP65NT1496 से कुल 08 गोवंश बरामद करते हुए अभियुक्त मनीष कुमार मौर्या एवं गोविन्द कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं पिकअप इंट्रा संख्या UP63CT0149 से 03 गोवंश बरामद करते हुए अभियुक्त मंदन पाल को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना चकिया पर क्रमशः मु0अ0सं0 177/2026, 178/2026 एवं 179/2026 धारा-3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त गोवंशों को मिर्जापुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से गोवंशों को एकत्रित कर पिकअप एवं मैजिक वाहनों में क्रूरतापूर्वक भरकर अहरौरा, मुसाखाड़, बेलावर एवं सुल्तानपुर-घुरहूपुर मार्ग से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। जहां उन्हें अधिक कीमत पर बेचकर आर्थिक लाभ कमाते मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.सिंटू सिंह पुत्र राम सजीवन सिंह, निवासी रामनगर सीकरी पहाड़ा, थाना पड़री, जनपद मिर्जापुर।

2.मनीष कुमार मौर्या पुत्र रामआसरे मौर्या, निवासी ग्राम खुटहां पपीता, थाना अहरौरा, जनपद मिर्जापुर।

3.गोविन्द कुमार पुत्र विनोद कुमार, निवासी ग्राम खुटहा पटीहटा, थाना अहरौरा, जनपद मिर्जापुर।

4.मंदन पाल पुत्र जगमोहन पाल, निवासी ग्राम भिखारीपुर, थाना कछवा, जनपद मिर्जापुर।

बरामदगी का विवरण-

1.कुल 17 राशि गोवंश

2.मैजिक वाहन संख्या UP65JT1321

3.मैजिक वाहन संख्या UP63BT7038

4.टाटा मैजिक वाहन संख्या UP65NT1496

5.पिकअप इंट्रा संख्या UP63CT0149

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

आपराधिक इतिहास सिंटू सिंह-

*मु0अ0सं0 177/2026, धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

आपराधिक इतिहास मनीष कुमार मौर्या-

1.मु0अ0सं0 178/2026, धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

आपराधिक इतिहास गोविन्द कुमार-

1.मु0अ0सं0 178/2026, धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

आपराधिक इतिहास मंदन पाल-

1.मु0अ0सं0 179/2026, धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।